

न्यायालयीन कार्य
विद्युत अधिनियम 2003
सीआरपीसी की धारा 145

**विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता प्रतिवेदन
निवारण विनियम 2023)**



**विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायगढ़
कैम्प बिलासपुर (छ.ग.)**



(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गोयल

सदस्य श्रीमती प्रीति रानी साव)

प्रकरण क्रमांक – 26024 / 2026

संस्थित दिनांक – 30.04.2026

श्री सी.एच. रवि वर्मा,

पता-बगानपुर रोड़, ग्राम/पो. धनागर, थाना-कोतरारोड़, रायगढ़ (छ.ग.)

परिवादी

/विरुद्ध/

1. कार्यपालन अभियंता (सं/स) संभाग-दो, (पदेन)

छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 रायगढ़ (छ0ग0)

2. सहायक अभियंता (उप संभाग), (पदेन)

छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 कुसमुरा (छ0ग0)

उत्तरवादी

आदेश

(आज दिनांक 14.07.2026 को पारित)

परिवादी की शिकायत, परिवादी के परिसर में किए गए जांच की जांच रिपोर्ट प्रदान करने, श्रेणी परिवर्तन एवं एक फेज को त्वरित सुधार करने हेतु प्रस्तुत किया गया है;

2. मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है:-

1. परिवादी को गैर घरेलू कनेक्शन का नियमित रूप से विद्युत देयक प्रदाय किया जा रहा है।

2. परिवादी के परिसर में दिनांक 17.04.2025 को जांच किया गया है।

20/7/26
अशोक कुमार गोयल
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायगढ़ (छ.ग.)

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि :- (परिवादी द्वारा 4 किलोवॉट का गैर घरेलू कनेक्शन क्रमांक 100773000057 प्राप्त किया गया है, जिसमें उत्तरवादी पक्ष द्वारा परिवादी के परिसर में दिनांक 17.04.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया किए गए स्थल निरीक्षण का जांच प्रतिवेदन परिवादी को नहीं दिया गया तथा अतिरिक्त राशि रु. 60995/- का देयक परिवादी को भुगतान हेतु जारी किया गया। परिवादी द्वारा गैर घरेलू कनेक्शन को परिवर्तित करने हेतु आवेदन माह अप्रैल 2025 में सहायक यंत्री, कुसमुरा के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है उसके पश्चात् भी श्रेणी परिवर्तन नहीं किया गया तथा परिवादी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि परिवादी के परिसर में स्थापित श्री फेज कनेक्शन में एक फेज सही कार्यरत नहीं है जिसे सुधार करने हेतु लेख किया गया है।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी (अनावेदक) द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि :-

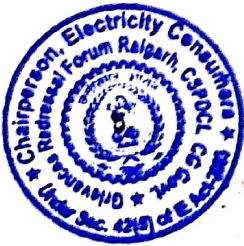
उत्तरवादी द्वारा परिवादी के परिसर का श्री फेज सप्लाय को सुधार कर चालू कर दिया गया है।

परिवादी के परिसर का जांच कार्यपालन यंत्री (सतर्कता) छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि. रायगढ़ द्वारा दिनांक 17.04.2025 को किया गया। सतर्कता जांच के दौरान कुल भार 5081 वॉट प्राप्त हुआ एवं एम.डी. ओवर शूट होना पाया गया, जिसका उपयोग निर्माण कार्य हेतु किया जा रहा था।

“सतर्कता जांच” के आधार पर अस्थायी “अर्थदण्ड” इस कार्यालय का पत्र क्र. 083 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा जारी किया गया एवं उनके सर्विस क्रमांक 100773000057 में राशि को दिनांक 01.05.2026 को जोड़ा गया।

परिवादी द्वारा गैर-घरेलू कनेक्शन से घरेलू प्रयोजन श्रेणी में परिवर्तन करने हेतु कुसमुरा कार्यालय में आवेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है।

परिवादी के परिसर का स्थल निरीक्षण कनिष्ठ यंत्री कुसमुरा के द्वारा दिनांक 12.05.2026 को किया गया, जिसमें परिवादी के द्वारा “घरेलू, गौशाला पालन एवं व्यवसायिक” उपयोग करते पाया गया।



मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नालिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं:-

1. क्या परिवादी अपने परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 100773000057 में आपेक्षित श्रेणी परिवर्तन करने का हकदार है ?

विवेचना एवं निष्कर्ष

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

अशोक कुमार गोयल

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायगढ़ (छ.ग.)



विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 की विवेचना एवं निष्कर्ष :-

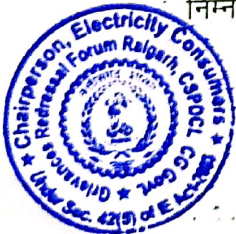
6. विचारणीय प्रश्न से संबंधित प्रथमतः परिवादी द्वारा विद्युत कनेक्शन वी.पी. क्रमांक 100773000057 गैर घरेलू कनेक्शन लेने के समय 04 किलोवॉट का कनेक्शन प्राप्त है। परिवादी द्वारा "घरेलू कनेक्शन" प्रदाय करने एवं "पेनाल्टी राशि को "निरस्त" करने हेतु आवेदन में सहायक यंत्री, कुरामुरा एवं अधीक्षण यंत्री द्वारा प्राप्त पावती दिनांक 16.05.2025 प्रस्तुत किया गया है तथा परिवादी द्वारा दिनांक 13.05.2025 को अतिरिक्त राशि रु. 11502/- का भुगतान दिनांक 13.05.2025 को किया गया है, इसके अतिरिक्त माननीय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी द्वारा उत्तरवादी को पत्र लिखा गया है कि पेनाल्टी को माफ कर परिवादी को नया "घरेलू विद्युत कनेक्शन" प्रदाय किया जावे, परिवादी का तर्क स्वीकार योग्य है।

उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क में बताया गया कि परिवादी के परिसर में "सतर्कता जांच" दल द्वारा दिनांक 17.04.2025 को किए गए जांच के आधार पर 01 वर्ष का पेनल बिलिंग किया गया है जो कि कंपनी के नियमानुसार उचित एवं वसूली योग्य है। मकान/दुकान का स्थायी स्ट्रक्चर नहीं रहता है एवं जहां निर्माण कार्य की आवश्यकता होती है एवं विद्युत लाइन से 30 मीटर से अधिक दूरी होने पर अस्थायी कनेक्शन दिया जाता है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क में यह बताया गया कि परिवादी द्वारा बार-बार निवेदन करने के बावजूद सहायक यंत्री कुसमुरा द्वारा "घरेलू विद्युत कनेक्शन" प्रदाय नहीं किया गया और न ही कोई जानकारी प्रदाय की गई। दिनांक 05.04.2025, 16.05.2025, 26.05.2025, 03.01.2026 एवं 13.05.2026 को लगातार पत्राचार कर "घरेलू कनेक्शन" प्रदान करने एवं जारी किए गए पेनल बिल को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

7. संपूर्ण विचारणीय प्रश्नों की विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि परिवादी द्वारा पूर्व से ही अपने परिसर में "गैर घरेलू कनेक्शन" प्राप्त किया गया है साथ ही इसी कनेक्शन का उपयोग घर के नवीनीकरण में भी किया जा रहा है, जो कि घरेलू दर से अधिक बिजली दर का भुगतान परिवादी द्वारा किया जा रहा है। इस आधार पर अलग से "अर्थदण्ड" प्रदाय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

8. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं संपूर्ण निष्कर्ष करने पर यह पाता हूँ कि परिवादी अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। अस्तु प्रस्तुत परिवाद स्वीकार कर निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है:-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
14/7/26
अशोक कुमार गोयल
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायगढ़ (छ.ग.)

उत्तरवादी, परिवादी के विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 100773000057 गैर घरेलू में सतर्कता जांच दिनांक 17.04.2025 के आधार पर जारी किए गए पेनल बिल को 30 दिवस के भीतर निरस्त करे तथा इस पर अधिरोपित अधिभार को निरस्त किया जावे। साथ "श्रेणी परिवर्तन" हेतु आवेदन देने पर कंपनी के नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जावे।

9. यदि परिवादी (आवेदक/उपभोक्ता) इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग) में अपील कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर

टंकित कराया गया



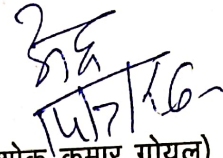
(प्रीति रानी साव)

सदस्य

(विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण,
फोरम, बिलासपुर)



आदेश पारित किया गया



(अशोक कुमार गोयल)

अध्यक्ष

(विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण,
फोरम, बिलासपुर)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायगढ़ (छ.ग.)